संपादकीय

कमियां दूर कर लाभ का हो विस्तार

इसमें दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी ने आम भारतीय के जीवन को सहज-सरल बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। आज तमाम तरह की सुविधाओं को हासिल करने के लिये उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अनेक सेवाएं एक क्लिक के साथ उसकी मुट्ठी में होती हैं। दरअसल, डिजिटल इंडिया की महत्वाकांक्षी पहल नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। जिसका मकसद रोजाना व्यवहार में सामने आने वाली जटिलताओं को दूर करके जीवन को आसान बनाना था। निस्संदेह, पिछले एक दशक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने कई प्रकार से नागरिकों को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। विशेष रूप से डिजिटल भुगतान आज पूरे देश में अपरिहार्य हो गए हैं। इससे जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के यूपीआई लेन-देन किए गए हैं। इन यूपीआई लेनदेन की संख्या करीब 1,860 थी। वर्ष 2023 में भारत ने वैश्विक रीयल-टाइम लेनदेन का 49 फीसदी हासिल किया। जिसमें 46 करोड़ लोग और 6.5 करोड़ व्यापारी यूपीआई का उपयोग कर रहे थे। निस्संदेह, शासन के विभिन्न क्षेत्रों में भी डिजिटल उपयोग में खासी प्रगति हुई है। जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और नागरिकों के हितों के अनुकूल हो गई है। इस डिजिटल क्रांति के चलते स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान हुई है। डिजिटल क्रांति से जुड़ी तमाम चुनौतियों के अलावा अभी देश में डिजिटल डिवाइड की समस्या बनी हुई है। जिसे यथाशीघ्र पाटने की जरूरत है। हालांकि, इस दिशा में आशातीत प्रगति भी हुई है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने के लिये चरणबद्ध प्रयासों की सख्त जरूरत है। यह चुनौती ग्रामीण भारत में अधिक नजर आती है। जहां इंटरनेट सेवाओं और मोबाइलों की पहुंच शहरों के मुकाबले कम है। जाहिर है, जब देश के हर व्यक्ति तक डिजिटल क्रांति का लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा, इस क्रांति के लक्ष्य अधूरे ही रहेंगे। निश्चित रूप से देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग आदि सेवाओं में जो व्यापक सुधार आया है, उसका लाभ हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर देश में डिजिटल डिवाइड की खाई को पाटने की दिशा में मिशन के रूप में प्रयास जारी हैं। लेकिन हाल में हुए कुछ सर्वेक्षणों के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसमें शामिल व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: दूरसंचार, 2025 का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। जिसके अनुसार साल 2025 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लगभग आधी महिलाओं के पास मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं थे। इसके निष्कर्ष एक महीने पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भी जारी किए गए थे। वहीं इसी तरह एक और आंख खोलने वाली बात शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले यूनिफाइड डिस्ट्रिक इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में भी सामने आई है।

विनोद शर्मा, संपादक

मध्यमवर्गीय परिवार नहीं फंसे ऋण के जाल में

प्रह्लाद सबनानी

> क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अत: बैंकों से ली जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके। ऋणदाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किश्त एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋण खाता यदि गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणदाता द्वारा बैकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शीघ्र ही भारत में ऋणदाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। भारत में चूंकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है, अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकता करने की क्षमता भी ऋणदाता में होनी चाहिए अर्थात ऋणदाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्त एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस संदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूक की गई राशि पर भारी मात्रा में ब्याज वसूला जाता है, जिससे युवा ऋणदाता ऋण के जाल में फंस जाते हैं। बैकों से लिए गए ऋण की मासिक किश्त एवं इस ऋणराशि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूककर्ता ऋणदाता से बैकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है। इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं

एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः बैंकों से ली जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके। ऋणदाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किश्त एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋण खाता यदि गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणदाता द्वारा बैकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है। इस समझौता प्रस्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋणदाता द्वारा सम्बंधित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को मासिक किश्त एवं ब्याज की राशि को पुनर्निर्धारित किए जाने के सम्बंध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋणदाता ऋण की पूरी राशि, ब्याज सहित, अदा करने में सक्षम नहीं है तो चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बंध में भी समझौता प्रस्ताव दे सकता है। ऋण की राशि अथवा ब्याज की राशि के सम्बंध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त छूट के चलते भविष्य में उस ऋणदाता को बैकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋणदाता को रखना चाहिए। अतः जहां तक सम्भव को ऋणदाता द्वारा समझौता प्रस्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋण की निर्धारित किश्तों एवं ब्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा रास्ता अथवा विकल्प है। भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है। कई बार मध्यमवर्गीय परिवार एक दूसरे की देखा देखी आपस में होड़ करते हुए भी कई उत्पादों को खरीदने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उस उत्पाद विशेष की आवश्यकता हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए एक पड़ौसी ने यदि अपने चार पहिया वाहन का एकदम नया मॉडल खरीदा है तो जिस पड़ौसी के पास पूर्व में ही चार पहिया वाहन उपलब्ध है वह पुराने मॉडल के वाहन को बेचकर पड़ौसी द्वारा खरीदे गए नए मॉडल के चार पहिया वाहन को खरीदने का प्रयास करता है और बैंक के ऋण के जाल में फंस जाता है। यह नव धनाढय वर्ग यदि बैक से लिए गए ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं कर पाता है तो उस नागरिक विशेष के वित्तीय रिकार्ड पर धब्बा लग सकता है जिससे उसके लिए उसके शेष जीवन में बैकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से पुनः ऋण लेने में कठिनाई आ सकती है। अतः बैकों से ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों को ऋण की किश्त का समय पर भुगतना करना स्वयं उनके हित में हैं, ताकि भारत में तेज हो रही आर्थिक प्रगति का लाभ आगे आने वाले समय में भी समस्त नागरिक ले सकें। भारत में तो यह कहा भी जाता है कि जिसके पास जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारने चाहिए। अर्थात, नागरिकों को बैंकों से ऋण लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का भुगतान करने लायक उनकी अतिरिक्त आय होनी चाहिए, ताकि ऋण की किश्तों एवं ब्याज की राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके।

बड़ी चुनौती है फैक्ट्री के धमाकों को रोकना

अशोक मधुप

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पासमैलारम फेज एक इलाके में एक केमिकल फैक्टरी में हुए विस्फोट में 34 कर्मचारियों की मौत हो गई। तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना फेस वन क्षेत्र स्थित डी-93 सेक्टर-दो स्थित शाम पेंट इंडस्ट्रीज केमिकल की कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लपटें आसमान तक छूती नजर आई। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड टीम ने इस आग की घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान न होने की बात कही है। इसी 16 जून को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी से करीब दो किलोमीटर दूर यह फैक्ट्री चार महिलाओं की मौत हो चुकी थी। नौ घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि फैक्ट्री संचालक ने पटाखे बनाने के लिए आसपास की रहने वाली महिलाओं को कम मजदूरी पर रखा था। उन्हें केवल 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी। मजदूरों को न कभी ट्रेनिंग दिलाई और नही आपातस्थित से निपटने का कोई प्रशिक्षण दिया गया। फैक्ट्री में दुर्घटनाएं होने पर कुछ दिन शोर मचता है। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा होने के बाद सब शांत हो जाता है। दुर्घटनाएं रोकने की कोई योजना नही बनती। नहीं फैक्ट्री के श्रमिकों को दुर्घटना होने के समय की चुनौती बताई जाती हैं। दुर्घटना होने के समय की चुनौती के समय के लिए प्रशिक्षित भी नही किया जाता। दुर्घटना होने पर क्या किया जाए इसका भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। फैक्ट्री लगती है किंतु उनका तकनीकि निरीक्षण नहीं होता। निरीक्षण करने वाली अधिकारी पैसे के बल पर अपने आफिस में ही बैठकर रिपोर्ट बना देते है। सही मायने में फैक्ट्रियों में होने वाली दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौत का जिम्मेदार वह अमला भी है जो समय-समय पर इनके सुरक्षा तंत्र का निरीक्षण करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशालय फ़ैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पंजीकृत फ़ैक्ट्रियों में दुर्घटनाओं के कारण हर दिन औसतन तीन मज़दूरों की मौत हुई है और 11 घायल होते हैं। नवंबर 2022 में आरटीआई जवाब के अनुसार, भारत में रजिस्टर्ड फ़ैक्ट्रियों में हर साल होने वाली दुर्घटनाओं में 1,109 वर्करों की मौत हो गई और 4,000 से अधिक वर्कर घायल हुए। ये 2017 से 2020 के बीच आंकड़ों के आधार पर है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या और भी ज्यादा है क्योंकि बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्रों में होने वाले हादसों की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती है। निदेशालय जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट, 2022 के अनुसार 2021 में, महाराष्ट्र में 6,492 खतरनाक फैक्ट्रियों में से केवल 1,551 का निरीक्षण किया गया, जिससे 23.89 प्रतिशत निरीक्षण दर प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, 39,255 पंजीकृत फैक्ट्रियों में से केवल 3,158 का निरीक्षण किया गया। इससे 8.04 प्रतिशत निरीक्षण मिली। अन्य प्रमुख औद्योगिक राज्यों में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। तमिलनाडु में सामान्य निरीक्षण दर 17.0 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 25.39 प्रतिशत थी। गुजरात में सामान्य निरीक्षण दर 19.33 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 19.81 मिली।। 2021 के लिए अखिल भारतीय आंकड़े सामान्य निरीक्षणों के लिए 14.65 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों के लिए 26.02 प्रतिशत थे। उपर्युक्त विवरण से लिया गया है। खराब निरीक्षण दरों का एक कारण कर्मचारियों की कमी है। महाराष्ट्र में निरीक्षकों की नियुक्ति दर केवल 39.34 प्रतिशत थी। इसमें 122 स्वीकृत अधिकारियों में से केवल 48 कार्यरत थे। गुजरात में नियुक्ति दर 50.91 प्रतिशत रही, तो तमिलनाडु में यह 53.57 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय नियुक्ति दर 67.58 प्रतिशत थी। स्वीकृत पदों की संख्या पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या के सापेक्ष वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त रही है। 2021 में, अखिल भारतीय स्तर पर 953 स्वीकृत निरीक्षकों में से प्रत्येक को वार्षिक रूप से 337 पंजीकृत फैक्ट्रियों का निरीक्षण करना पड़ता है।

हिन्दी को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनायें

ललित गर्ग

दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में हिन्दी विरोध की राजनीति अब महाराष्ट्र में भी उग्र से उग्रतर हो गयी, इसी के कारण त्रिभाषा नीति को महाराष्ट्र में लगा झटका दुखद और अफसोसजनक है। आखिरकार राजनीतिक दबाव, लंबी रस्साकशी और कशमकश के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई से जुड़े मुद्दे पर यू-टर्न लेते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। विदित हो कि केंद्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। राजनीतिक आग्रहों एवं दुराग्रहों के चलते अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब, महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी का संकट वास्तव में एक गहरे सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। यह केवल भाषाई नहीं, बल्कि अस्मिता, पहचान और सह-अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जबकि भाषा को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाना चाहिए। क्योंकि जब मराठी और हिंदी एक-दूसरे की सहयोगी बनेंगी, तभी महाराष्ट्र और भारत दोनों का भविष्य उज्ज्वल होगा और तभी महाराष्ट्र राष्ट्रीयता से जुड़ते हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। हिन्दी को हथियार बनाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया था कि सरकारी प्रयासों के हाथ-पांव फूलने लगे और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा। ठाकरे बंधुओं का हिन्दी विरोधी आंदोलन दिनोंदिन उग्र होता जा रहा था। यह सच है, हर राज्य के लिए भाषा की राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुंह नहीं मोड़ सकती। यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र में पूर्व में एक समिति ने जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी, तब उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब हिंदी का मामला बड़ा नहीं था, पर आज जब

ठाकरे विपक्ष में हैं, तब यही मुद्दा सबसे अहम हो गया है। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, समूचे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव जिसे मिला हुआ है, जहां समूचे देश के लोगों बसे है, जिसे सांझा-संस्कृति का गौरव प्राप्त है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठी मानुष की शक्ति से हार गई, पर वे इस बात को छिपा रहे हैं कि हारी सरकार नहीं, बल्कि राष्ट्र-भाषा हिंदी हारी है, जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है। भारत विविधताओं का देश है, यहां भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। परंतु जब भाषाएं टकराव का विषय बन जाएं, तो वह केवल भाषाई संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदी भाषा को लेकर एक अनकहा-अनचाहा-सा संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता का प्रतीक है। कई मराठी संगठनों और राजनीतिक दलों का यह मानना है कि हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व मराठी संस्कृति के लिए खतरा बन सकता है। फडणवीस सरकार की ताजा घोषणा यह दर्शा रही है कि हिंदी का मुद्दा राज्य में विपक्षी दलों के हाथों का एक ताकतवर राजनीतिक हथियार बनता जा रहा था। न केवल विपक्ष के सभी दल इस मसले पर एकजुट और विधानसभा के मॉनसून सत्र को हंगामेदार बनाने पर आमादा थे, बल्कि ठाकरे बंधुओं को भी हिंदी विरोध की राजनीति की अपनी जानी-पहचानी जमीन वापस मिलती दिख रही थी। क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शुरुआती दौर में पार्टी खास तौर पर हिंदीभाषियों के विरोध के लिए जानी जाती थी। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों की निरंतर बढ़ती आबादी को शिवसेना मराठी अस्मिता के लिए खतरे के रूप में देखती थी। हालांकि बाद के दौर में, खासकर नब्बे के दशक से भाजपा के गठबंधन में शिवसेना की राजनीति भी हिंदी से हिंदू की ओर मुड़ती गई। ऐसे में निश्चित ही मराठा राजनीति से हिन्दी विरोध की उम्मीद नहीं थी। अब तक तमिलनाडु को ही हिंदी विरोध के लिए जाना जाता था, पर इधर तीखे हिंदी विरोध में कर्नाटक के साथ ही, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। दुनिया की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली हिन्दी भाषा अपने ही देश में उपेक्षा एवं राजनीति की शिकार है। अब केन्द्र सरकार के साथ-साथ हिंदी समाज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। हिन्दी भाषी प्रांतों को अपनी राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को इतना बल देना पड़ेगा कि कम से कम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अहिंदीभाषी राज्यों में स्वीकार किया जाए। क्या हिंदी प्रदेश के नेता इससे सबक लेंगे? हालांकि, जिस तरह की त्रासद भाषा-राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, उससे यही लगता है कि इसके लिये बनी समितियों में बैठने वाले विशेषज्ञों की राय को किनारे कर दिया जाएग और राष्ट्रीयता पर क्षेत्रीयता की जीत हासिल हो जाएगी। महाराष्ट्र में बढ़ते हिन्दीभाषियों के अनुपात को देखते हुए देर-सबेर हिन्दी को अपनाना ही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र, कुल आबादी में हिंदीभाषियों का बढ़ता अनुपात हिन्दी के पक्ष में है। 2001 की जनगणना के मुताबिक हिंदीभाषियों की संख्या मुंबई में 25.9 प्रतिशत और मराठीभाषियों की 42.9 प्रतिशत थी जो 2011 में क्रमशः 30.2 प्रतिशत और 41 प्रतिशत हो गई। महाराष्ट्र में इसी अवधि में जहां मराठीभाषी आबादी 76 प्रतिशत से 73.4 प्रतिशत पर आ गई, वहीं हिंदीभाषियों का अनुपात 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया। इसीलिये हिंदी लादने के इस फैसले ने न केवल उद्धव और राज ठाकरे को आक्रामक रूप में सामने ले आई बल्कि 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। 5 जुलाई को होने वाली हिन्दी विजय रैली पर महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर सुर में सुर मिलाने वाले उद्धव और राज ठाकरे को सियासी हौसला मिल गया है। जिसे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ माना जा रहा, लेकिन साथ ही सवाल है कि उद्धव और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री कब तक बरकरार रहेगी।

हिमाचल के इस मंदिर में हर 12 साल में गिरती है बिजली

अनन्या मिश्रा

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है। जिसको अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति ने काशवरी गांव में स्थित मंदिर को बंद करने की सूचना के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाए हैं। हाल ही में बिजली महादेव मंदिर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है। जिसको अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति ने काशवरी गांव में स्थित मंदिर को बंद करने की सूचना के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाए हैं। लेकिन अफवाह है कि पिछले दिनों मंदिर में बिजली गिरी थी, जिसके कारण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए मंदिर कार्यों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब मंदिर समिति ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। हालांकि मंदिर समिति ने बिजली महादेव मंदिर पर बिजली गिरने का खंडन किया है। वहीं मंदिर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यहां के स्थानीय लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मंदिर क्यों बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त कारज होने के कारण मंदिर को बंद किया गया है। इस अवधि में स्थानीय लोगों को भी मंदिर जाने की अनुमति नहीं होती है। माना जाता है कि देवता के आदेश पर ही मंदिर के गुप्त कार्य होते हैं। मंदिर कब तक बंद रहेगा, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस मंदिर में सिर्फ पुजारी और पुरोहित रहते हैं। मंदिर को लेकर धार्मिक मान्यता है कि हर 12 साल में बिजली महादेव मंदिर में आकाशीय बिजली गिरती है और मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। बिजली खंडित होने के बाद सत्तू और मक्खन आदि से शिवलिंग को जोड़ा जाता है। वहीं स्थानीय लोगों की मानें, तो यहां पर बिजली भगवान शिव के आशीर्वाद से गिरती है और इलाके में व्याप्त सभी बुराइयां दूर होती है। भोलेनाथ की आज्ञा से ही इंद्रदेव शिवलिंग का इस तरह अभिषेक करते हैं। बिजली महादेव मंदिर को लेकर एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में कुलांत नामक राक्षस ने ब्यास नदी का प्रवाह रोकने के लिए कुल्लू घाटी को डुबाने की कोशिश की। कुलांत नामक राक्षस ने खतरनाक सांप का रूप धारण कर घाटी को तबाह करने की योजना बनाई थी। तब भगवान शिव ने राक्षस से कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई थी। जैसे ही कुलांत ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जिससे कुलांत राक्षस का शरीर विशाल पर्वत में बदल गया। जिसको आज के समय में कुल्लू की पहाड़ी माना जात है। महादेव ने इंद्रदेव से कहा कि इस स्थान पर हर 12 साल में बिजली गिराएं, जिससे कि क्षेत्र की रक्षा हो सके।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059